5.12.17

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत ।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट सं0-1 ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251"ए" का पेश कर आराजी ख0नं0 292 व 291 में रास्ता ख0नं0 284 व 290 की सींव के सहारे सहारे रास्ता चाहा । इस प्रार्थना पत्र को अदालत मातहत ने स्वीकार कर लिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत में अपीलान्ट के नोटिस अपीलान्ट पर तामिल नहीं हुये । नोटिस किसी दीगर व्यक्ति महेशकुमार पुत्र नेकीराम को दिये गये हैं । अपीलान्ट की तामिल नहीं हुई । अपीलान्ट की आराजी ख0नं0 284 है जिसमें से योग्य अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट संख्या-1 को ख0नं0 291 व 292 में आने जाने का रास्ता दिया है जबकि ख0नं0 291 व 292 में आने जाने हेतु रास्ता (सडक) अरडावता से बारी से खसरा नं0 290 से होते हुए

पगडण्डी का रास्ता वर्षों से है जिसका उपयोग प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या-1 करता आ रहा है ।इस बिन्दू पर अदालत मातहत ने कोई गौर नहीं किया ।प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अदालत मातहत में 21-5-12 को पेश किया तथा निर्णय दिनांक 29-5-2013 को किया गया इस आर्डर शीट में कहीं भी अपीलान्ट की तामिल हुई हो कोई आदेश नहीं, न ही अपीलान्ट कभी हाजिर हुआ । अपीलान्ट फौज में नौकरी करता है तथा अपीलान्ट का परिवार झुन्झुनू में रहता है । इस कारण अपीलान्ट को प्रकरण में न तो नोटिस तामिल हुआ न सुनवाई का अवसर मिला । अदालत मातहत ने बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया है । जिसकी जानकारी होने पर यह अपील अन्दर मियाद पेश की है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।अदालत मातहत की आदेशिका पर अप्रार्थीगण की तामिल हुई अथवा नहीं इस बाबत कोई आदेश नहीं है ।अपीलान्ट के नोटिस पर लिखा है प्रार्थी बच्चो सहित झुन्झुनू रहता है । जिस पर महेशकुमार पुत्र नेकीराम के हस्ताक्षर है ।नोटिस की दोनो प्रतियां पत्रावली में शामिल है । इससे स्पष्ट है अपीलान्ट की तामिल नहीं हुई तथा न ही अपीलान्ट को किसी प्रकार से प्रकरण की सूचना हुई हो पत्रावली पर मौजूद नहीं है ।अर्थात अपीलान्ट को सुनवाई का भी कोई अवसर नहीं दिया और एक खातेदार की भूमि में से रास्ता दिया जाता है तो उसको सुनवाई

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	अपीलान्ट की तामिल के बाबत कोई गौर न कर एक खातेदार को बिना सुनवाई का अवसर दिये उसकी खातेदारी भूमि में से रास्ता दिया है जो हम उचित नहीं मानते । अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर है जो जानकारी से अन्दर मियाद पेश की है। यहां पर अपील को विलम्ब माफ करते हुये अपील को अन्दर मियाद शुमार कर अपील स्वीकार कर अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित मानते है ।	
	अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी चिडावा का निर्णय दिनांक 29-5-2013 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण योग्य अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण में पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर मौका निरीक्षण पक्षकारों की मौजूदगी में करवाकर अपना निर्णय पुनः पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 10-01-2018 को उपस्थित होवें ।	
	निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 5.12.2017 को सुनाया गया ।	
	(भंवरलाल मेहरड़ा) 5/12/17 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	